महोबा पुलिस की त्वरित कार्यवाही, 24 घण्टे के अन्दर थाना अजनर क्षेत्र में हुयी हत्या के 03 अभियुक्तों को आलाकत्ल के साथ किया गिरफ्तार

‘प्रेस नोट – थाना अजनर’

दिनांक 11.10.2020 को थाना अजनर के ग्राम अकौनी में प्रधानी रंजिश को लेकर तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजू कुशवाहा जी पर लोहे की राड व अवैध तमंचे से हमला किया गया था जिनको गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाते वक्त रास्ते में मृत्यु हो गयी थी, जिस सम्बन्ध में वादी मदन कुशवाहा पुत्र राजू कुशवाहा निवासी ग्राम अकौना थाना अजनर की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 176/2020 धारा 147/148/149/302/404/504/506 भादवि बनाम अभियुक्त सुखराम राजपूत पुत्र जमुना प्रसाद आदि कुल 09 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुये वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी/धरपकड के सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में टीमों का गठन किया गया था। जिसके क्रम में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय एवं प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर शशि कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा वांछित अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर ग्राम अकौनी से अभियुक्त सुखराम मय 01 अदद तमंचा 315 बोर व कारतूस, अभियुक्त गंगाचरन मय 01 अदद तमंचा 315 बोर व कारतूस आलाकत्ल राड एवं अभियुक्त कल्लू उर्फ कालीचरन को मय 01 अदद आलाकत्ल राड के साथ गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के आदतन अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर तारीखी इमरोजा में क्रमशः मु.अ.सं. 177/2020 व 178/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सुखराम पुत्र जमुना प्रसाद व अभियुक्त गंगाचरन राजपूत पुत्र लोचन के विरुद्ध पंजीकृत किये गये हैं तथा पूर्व में भी इनके विरुद्ध कई मकदमें पंजीकृत हैं जिसमें अभियुक्त सुखराम थाना अजनर का हिस्ट्रीशीटर भी है।

मुकदमें में वांछित शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमें रवाना हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सुखराम पुत्र जमुना प्रसाद उम्र 50 वर्ष
2. कल्लू उर्फ कालीचरन पुत्र जमुना प्रसाद उम्र 25 वर्ष
3. गंगाचरन राजपूत पुत्र लोचन उम्र 25 वर्ष निवासीगण अकौनी थाना अजनर जिला महोबा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक शशि कुमार पाण्डेय थाना अजनर जनपद महोबा
2. उ.नि. श्री राजेश कुमार प्रजापति थाना अजनर जिला महोबा
3. का. चन्दन पाचाल थाना अजनर जनपद महोबा
4. का. हरिओम यादव थाना अजनर जनपद महोबा
5. का.विनय प्रताप थाना अजनर जिला महोबा
6. का. राममिलन राजपूत थाना अजनर जिला महोबा

P.T.O.

दिनांक- 13.10.2020

“महोबा पुलिस”

सोशल मीडिया सेल

आपराधिक इतिहास-

-अभियुक्त सुखराम पुत्र जमुना प्रसाद निवासी ग्राम अकौनी का आपराधिक इतिहास-

1.	मु0अ0सं0 95/92	धारा 302/307 भादवि
2.	मु0अ0सं0 05/94	धारा 386 भादवि व एससी/एसटी एक्ट
3.	मु0अ0सं0 69/2002	धारा 342/506 भादवि
4.	मु0अ0सं0 659/07	धारा 60 आबकारी अधि0
5.	मु0अ0सं0 15/17	धारा 110 जी
6.	मु0अ0सं0 33/95	धारा 395 भादवि
7.	मु0अ0सं0 169/07	धारा 382/452/323/504/506भादवि व एससी एसटी एक्ट
8.	**NCR No.** 29/20	धारा 323/504/506 भादवि
9.	**NCR No.** 90/20	धारा 323/504/506 भादवि
10.	मु0अ0सं0 176/2020	धारा 147/148/149/302/404/504/506 भादवि
11.	मु.अ.स.177/2020	धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना अजनर जिला महोबा

-अभियुक्त कल्लू उर्फ कालीचरन पुत्र जमुना प्रसाद निवासी ग्राम अकौनी का आपराधिक इतिहास-

1.	मु0अ0सं0 371/07	धारा 3 यूपी गुण्डा
2.	मु0अ0सं0 728/18	धारा 110 जी
3.	मु0अ0सं0 334/05	धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
4.	मु0अ0सं0 333/05	धारा 307 भादवि
5.	मु0अ0सं0 202/17	धारा 452/323/504/506 भादवि
6.	मु0अ0सं0 176/2020	धारा 147/148/149/302/404/504/506 भादवि

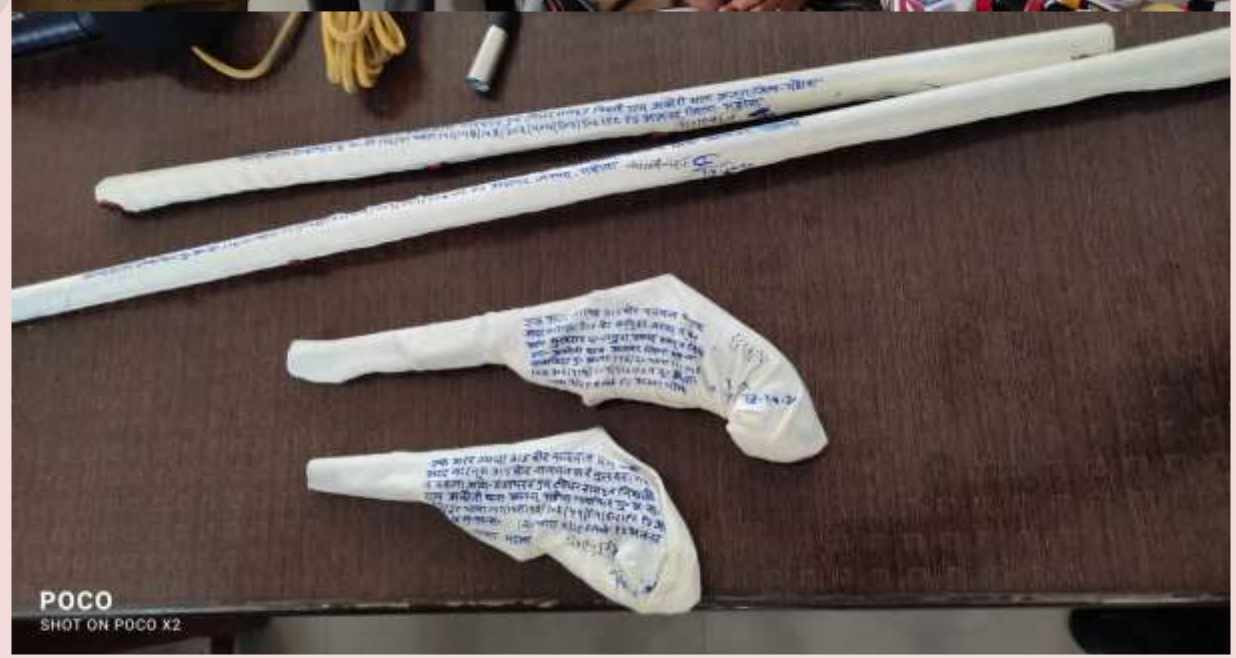

श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने घटना स्थल का निरीक्षण कर, थाना अजनर का किया औचक भ्रमण

दिनांक 11.10.2020 को थाना अजनर के ग्राम अकौनी में हुयी तत्कालीन प्रधान श्री राजू कुशवाहा जी की हत्या के सम्बन्ध में आज दिनांक 13.10.2020 को श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बांदा श्री के0 सत्यनारायण जी द्वारा घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया तथा मृतक के परिवारीजनों से मिलकर घटना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुये उनका कुशल क्षेम जाना तथा मृतक के परिवारीजनों को हरसम्भव मदद का भरोसा दिलाया गया। पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा कहा गया कि नामजद 03 अभियुक्तों को आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है व शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमें रवाना हैं जल्द ही गिरफ्तारी की जायेगी।

बाद घटना स्थल निरीक्षण पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा थाना अजनर का निरीक्षण किया गया जहां पर सर्वप्रथम कोविड केयर हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया तत्पश्चात थाना कार्यालय में जाकर अभिलेखों का निरीक्षण किया गया जहां पर रजि0 नं0 4, महिला उत्पीडन, एससी0एसटी0 एक्ट आदि अभिलेखों का अवलोकन करते हुये थाना कार्यालय में तैनात महिला कां0 पिंकी यादव से परिक्षेत्र स्तर पर चलाये जा रहे हिस्ट्रीशीटर के सम्बन्ध में पूंछा गया तो उक्त महिला सिपाही द्वारा अभियान के बारे में बताया गया जिससे पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा म0कां0 को पुरस्कृत करने हेतु कहा गया।

महोबा पुलिस

दिनाँक 13.10.2020 पैदल गस्त/वाहन चेकिंग

आज दिनाँक 13.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके संदिग्ध व्यक्तियो/वाहनो को चेक किया गया तथा मुख्य बाजार का भ्रमण भी किया गया। इसके साथ ही कोविड-19 के तहत वाहन चेकिंग की गई, जिसमें 28 वाहनो से 3400/-रु0 शमन शुल्क वसूला गया एवं 54 ई-चालान भी किये गये। कोविड-19 जागरुकता अभियान के तहत लोगो से मास्क पहनने व 02 गज की दूरी बनाये रखने तथा अपने हाथो को बार-बार सेनिटाइजर/साबुन से धोने की अपील की गई। जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।